11. राज्य की सरकार

अपने देश में सभी लोगों के लिए कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे एक नियम या कानून है कि बिना इजाज़त अपने पास बन्दूक रखना मना है। या 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी नहीं हो सकती है। ये नियम कायदे ऐसे ही किसी की मर्ज़ी से नहीं बन गए। लोगों ने अपनी एक सरकार को चुना जिसने ये नियम कायदे बनाए। इस तरह के बहुत सारे नियम कायदे अपने देश की सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए नियम कायदों को कानून भी कहा जाता है।

कानून बनाना सरकार का एक मुख्य काम है। इसके अलावा सरकार कानून को लागू भी करती है। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या नहीं मानता है तो उसके बारे में फैसला करना व उसे सज़ा देना भी सरकार का काम है। यानी सरकार निम्न तीन काम करती है- कानून बनाना, कानून लागू करना और न्याय करना।

हमारे देश भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं - केन्द्र सरकार और राज्य सरकार। केन्द्र सरकार के अलावा हर राज्य की अलग सरकार भी हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य की सरकार भी कानून बनाती है और लागू करती है। यदि कोई कानून तोड़ता है तो निर्णय लेकर उसे दण्ड भी देती है। इसका मतलब यह हुआ कि मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के ऊपर मध्य प्रदेश राज्य की सरकार व भारत की केन्द्र सरकार दोनों के कानून लागू होते हैं। इसी तरह सभी राज्यों में रहने वाले लोगों के ऊपर उनके राज्य की सरकार और भारत सरकार दोनों के कानून लागू होते हैं। हम इस पाठ में राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे और अगली कक्षा में भारत की केन्द्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे।

राजस्थान राज्य में रहने वाले लोगों को किन सरकारों के कानून मानने होते हैं?

क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बना कानून हिमाचल प्रदेश में लागू होता है?

क्या भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून हिमाचल प्रदेश में लागू होता होगा?

क्या तमिलनाडु सरकार पंजाब के लिए कानून बना सकती है?

क्या भारत सरकार का कानून भोपाल में लागू होगा?

नीचे दिए गए नक्शे में केन्द्र सरकार का कानून कहां लागू होगा - पीले रंग से भरो। मध्य प्रदेश सरकार का कानून कहां लागू होगा वहां नीले रंग की बिंदियां भरो।

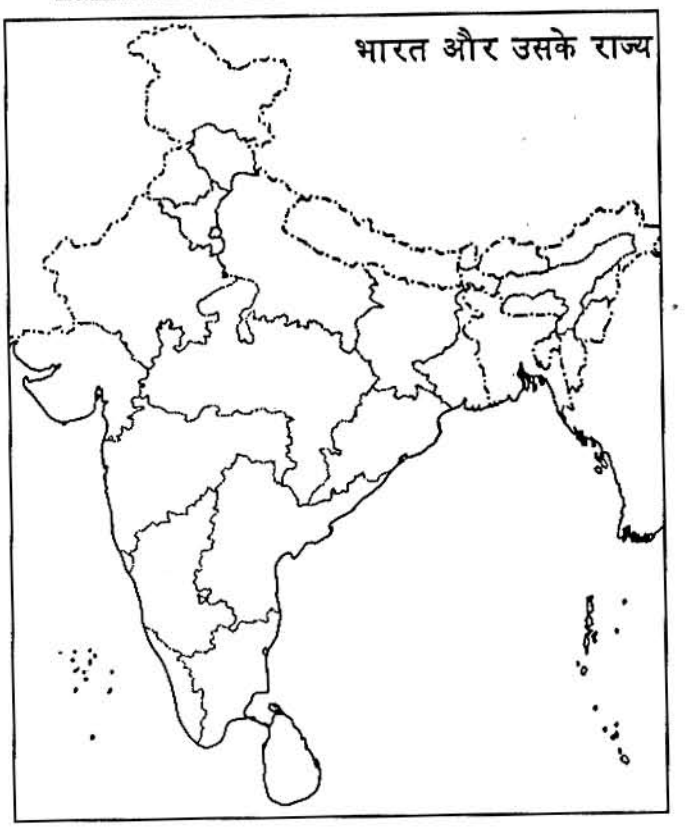

राज्य की विधान सभा कैसे बनती है?

राज्य सरकार में जो लोग कानून बनाते हैं, उन्हें विधायक या विधानसभा सदस्य कहते हैं। कानून या नियम के लिए एक और शब्द है–"विधि" या "विधान"। इसी से विधायक, विधानसभा और विधेयक शब्द बनते हैं।

विधायक अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तुम तो जानते हो कि पंचायत के सदस्य भी लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इस चुनाव के लिए पंचायत क्षेत्रों को वार्डों में बांटा जाता है। विधायक या विधानसभा सदस्य के चुनाव के लिए पूरे राज्य को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। इन क्षेत्रों को विधानसभा चुनाव क्षेत्र कहा जाता है।

पंचायत के एक वार्ड में तो केवल 100-200 लोग रहते हैं। एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लगभग एक लाख लोग रहते हैं। एक लाख लोग बहुत होते हैं। वे कई गांवों और कस्बों में रहते हैं। हां, बड़े-बड़े शहर कई मीलों में फैले होते हैं और उन में कई लाख लोग रहते हैं। इसलिए एक शहर में (जैसे भोपाल, इन्दौर आदि) एक से अधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र होते हैं। हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है।

विधानसभा के चुनाव अलग-अलग पार्टियां लड़ती हैं। ये पार्टियां हर चुनाव क्षेत्र से अपना 'उम्मीदवार' खड़ा करती हैं। उम्मीदवार या चुनाव प्रत्याशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो चुनाव में खड़ा होता है और जिसे 'वोट' दिए जाते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकता है। पार्टियों के उम्मीदवारों के अलावा, स्वतंत्र रूप से भी कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है।

तुम जितनी पार्टियों के नाम जानते हो, उन्हें लिखो।

विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई जुर्म साबित किया गया हो या वह दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। हर चुनाव क्षेत्र से जिस उम्मीदवार को सब से अधिक वोट मिलें, वह उस क्षेत्र का विधायक माना जाता है।

पर वोट कौन डाल सकता है? वे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिला। हां, वोट डालने से पहले, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची (वोट डालने वालों की एक सूची) में दर्ज कराना पड़ता है।

तुम्हारे क्षेत्र का विधायक कौन है? वह किस पार्टी का है? गुरुजी से पूछो कि यह चुनाव किस तरह से होता है? यदि तुम्हें पिछले विधानसभा के चुनाव के बारे में कुछ याद हो तो लिखो।

राज्य का मंत्रिमण्डल

जिस पार्टी के सदस्य आधे से अधिक चुनाव क्षेत्रों से विधायक चुने जाते हैं, उस पार्टी का नेता या मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। यानी यदि किसी राज्य को 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है तो जिस भी पार्टी के 100 से अधिक विधायक बनें, उस पार्टी के नेता को राज्यपाल सरकार बनाने को कहता है। यह नेता मुख्यमंत्री बनता है और विधानसभा के अन्य सदस्यों में से (अक्सर अपनी पार्टी में से ही) अन्य मंत्री चुनता है। मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमण्डल मिलकर राज्य की सरकार कहलाते हैं, इसलिए जिस पार्टी का मंत्रिमण्डल बनता है, उस पार्टी की सरकार बनी कहलाती है।

तुम्हारे राज्य (मध्य प्रदेश) की सरकार किस पार्टी की है?
इन राज्यों की सरकारें किस पार्टी की हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, बिहार, आंध्रप्रदेश।

सरकार का काम

जब विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं और विधायक बन जाते हैं तो उन्हें विधान सभा की बैठकों में भाग लेना पड़ता है। ये बैठकें साल में 2 या 3 बार होती हैं।

विधानसभा में तरह-तरह के विषयों पर चर्चा होती है– कृषि पर, शिक्षा पर, पंचायतों पर, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं पर। कुछ विधायक सवाल पूछते हैं तो संबंधित मंत्री जवाब देते हैं। कुछ विषयों पर कानून बनाये जाते हैं। कानून बनने से पहले उस विषय पर एक 'बिल' या 'विधेयक' (यानी कानून का प्रस्ताव) विधानसभा में पेश किया जाता है। उस पर खूब बहस व चर्चा होती है। ज़रूरी हो तो कुछ मुद्दों पर विधेयक बदला जाता है। विधानसभा में उपस्थित विधायकों में से आधे से अधिक विधायक जब किसी विधेयक के पक्ष में हों तभी वह विधेयक कानून बन सकता है। विधानसभा में पारित होकर विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल राज्य में केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही विधेयक कानून बनता है और लागू होता है।

इन कानूनों को लागू करना राज्य के मंत्रिमंडल का काम है। बोलचाल की भाषा में मंत्रिमंडल को ही सरकार कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधान सभा भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मंत्री भी भोपाल में ही काम करते हैं। जिस जगह राज्य की विधान सभा होती है और मंत्रिमंडल काम करता है, उस जगह को राज्य की राजधानी कहा जाता है।

भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी क्यों कहा जाता है? भारत का नक्शा देखो और बताओ कि हर राज्य की विधानसभा व मंत्रिमंडल कहां काम करते हैं?

उम्मीदवार, विधायक मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल–क्या तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गईं? अगर कठिनाई हो रही हो तो गुरुजी से कहो कक्षा में बच्चों के बीच चुनाव का नाटक बना कर कराएं व समझाएं कि सरकार कैसे बनती है।

राज्य में विधानसभा में बने कानून व नीतियों को लागू करने के लिए राज्य सरकार कई लाख सरकारी कर्मचारी नियुक्त करती है–डॉक्टर, तहसीलदार, विकास खण्ड अधिकारी, पुलिस, पटवारी आदि। इन सबको राज्य सरकार तनख्वाह देती है। उन्हें राज्य मंत्रिमंडल के आदेशों का पालन करना होता है।

तुमने देखा कि सरकार क्या है, कानून कैसे बनता है, और मंत्रिमंडल कैसे बनता है। चलो इन बातों को और अच्छी तरह समझने के लिए एक विधायक की कहानी पढ़ें।

एक विधायक की कहानी

कौशलपुर एक काल्पनिक जगह है। इस कहानी में पार्टी और लोग भी काल्पनिक हैं। लेकिन विधायक चुनने का तरीका, नियम तय करने के तरीके, जो इस कहानी में बताए गए हैं, वे सब सही हैं।

कौशलपुर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पांच पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रत्याशी या उम्मीदवार तय कर लिये हैं। सब से ताकतवर पार्टियां हैं मध्य भारत दल और महाकौशल संघ। मध्य भारत दल से चुनाव लड़ रहे हैं, विलास भाई और महाकौशल संघ से रामप्रसादजी। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। कौशलपुर क्षेत्र से चुनाव के लिए कुल 8 उम्मीदवार या प्रत्याशी हैं–5 पार्टियों के और तीन निर्दलीय।

प्रचार

चुनाव 25 सितम्बर को होने वाले हैं। 15-20 दिन पहले ही चुनाव प्रचार शुरू हो गया– लाउड-स्पीकर, जीप, तांगे, आमसभाएं। हर पार्टी के सदस्य आश्वासन देते हैं। कोई कहता है, "हम महंगाई कम करेंगे" तो कोई कहता है "हम ज़मीन दिलवाएंगे" और तीसरा कहता है, "हम मज़दूरी बढ़वाएंगे।" उम्मीदवार दूसरी पार्टी के सदस्यों की आलोचना भी करते हैं। 24 तारीख तक यह शोरगुल रहा और फिर सब शान्त हो गया।

सोचो कि यह नियम क्यों है कि चुनाव से एक दिन पहले प्रचार प्रसार बंद होना चाहिए।

कौशलपुर में वोट डले

25 तारीख को सुबह वोट डलना शुरू हुए और शाम तक डलते रहे। चुनाव केन्द्रों के सामने लोगों की लम्बी कतारें थीं। बड़े-बूढ़े, औरतें, आदमी सभी वहां थे। एक व्यक्ति दरवाज़े पर बैठा था। उसके पास लम्बी सूचियां थीं। वोट देने वाले उसके पास पहले जाते। जिस का नाम उस सूची में न होता उसे वह लौटा देता। सूची मे जिसका नाम होता उसके नाखून पर एक खास स्याही से निशान लगाया जाता। वह हस्ताक्षर करके मतपत्र लेता और फिर परदे के पीछे जाता। मतपत्र पर अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवार के चिन्ह के सामने मुहर लगाता। फिर मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डाल देता।

बीच में एक व्यक्ति से उस अधिकारी की खूब लड़ाई हुई। अधिकारी कह रहा था, "तुम तो अपना वोट डाल चुके हो, फिर से क्यों आए हो?" वोट डालने वाला बार-बार अपने नाखून दिखाता "जब मेरे नाखून पर निशान ही नहीं तो आप मुझे रोक कैसे सकते हैं? आपने मेरे नाम को सूची में गलती से काटा होगा या कोई फर्जी वोट डाल गया होगा।" अंत में अधिकारी ने उस से वोट एक लिफाफे में रखकर सील बन्द करके देने को कहा। वोट का लिफाफा अधिकारी ने अपने ही पास रख लिया।

सीलबन्द लिफाफे वाले वोटों का क्या होता है– गुरुजी से चर्चा करो।

कौशलपुर में वोट डल ही रहे थे कि पास के रामपुर विधानसभा क्षेत्र से खबर आई कि कई सारे लोगों ने लाठी लेकर 2 केन्द्रों पर धावा बोला। अधिकारियों को पीटा गया और मतपेटी के ताले खुलवाकर उसमें फर्जी वोट डाले गए। अधिकारियों से फिर ज़बरदस्ती वोट पेटियां सील करवाईं गईं। जो पुलिस वहां थी उसे भी पीट दिया गया।

इस घटना की जांच की गई। इन दो केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा में फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए गए।

अगले दिन कौशलपुर क्षेत्र के वोटों की गिनती शुरू हुई। शाम तक चुनाव के परिणाम आने लगे। कौशलपुर की सभी वोट पेटियों की जब गिनती खत्म हुई तो पता चला कि रामप्रसाद जी को 42,803 वोट मिले और विलास भाई को 28,156। बाकी 6 प्रत्याशियों को 5 हज़ार से भी कम वोट मिले।

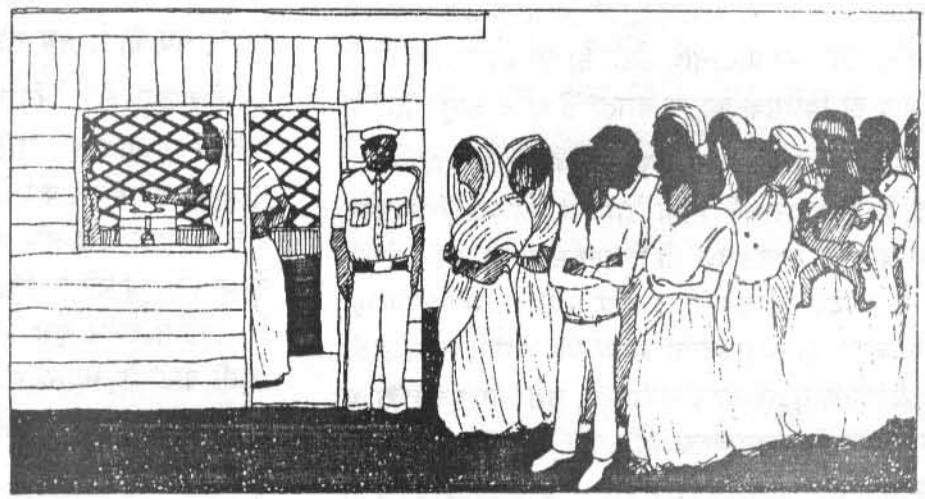

बताओ कौशलपुर का विधायक कौन बना? वह किस पार्टी का था?

मंत्रिमंडल किसका बना

जब हर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम घोषित हो गए तो पता चला कि कुल 320 विधानसभा क्षेत्रों में से 192 क्षेत्रों में विलास भाई की पार्टी यानी मध्य भारत दल के प्रत्याशी जीते हैं, 92 महाकौशल संघ और बाकी 35 विधायक अन्य पार्टी के हैं, या निर्दल हैं। कुल 319 सदस्य विधानसभा में पहुंचे क्योंकि क्षेत्र में चुनाव तो रद्द हो गये थे।

बताओ मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री किस पार्टी के बने?

हालांकि रामप्रसाद जी कौशलपुर क्षेत्र से विजयी हुए, उनकी पार्टी का मंत्रिमंडल नहीं बना। वे विपक्षी दल के हो गए। एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव रद्द कराया गया था, वह 3 महीने बाद फिर से हुआ।

5 सालों में विधानसभा की कई बैठकें हुईं। इन बैठकों में राज्य से संबंधित कई बातों पर चर्चा और बहस होती और कई मसले तय किए जाते। जैसे-किसी चीज़ पर कितना बिक्री कर लगेगा? माचिस पर अधिक या तेल पर? खेती की ज़मीन पर भी कर लगेगा या नहीं? पंचायतें किस प्रकार से बनाई जाएंगी? और ऐसे ही कई मसले।

इन बैठकों में कई विधायक सरकार से प्रश्न पूछते और संबंधित मंत्री जवाब देते। कोई पूछता "महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं?" तो वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ता। यदि पूछा जाता "प्रदेश में कितनी प्राथमिक शालाओं की छतें नहीं हैं? आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं?" तो शिक्षामंत्री उत्तर देते। कुछ विधायक जवाबों से संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ संतुष्ट नहीं होते।

सोचो, मंत्री विधायकों से ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं?

न्यूनतम मज़दूरी का कानून बना

एक दिन श्रम मंत्री ने विधानसभा में न्यूनतम मज़दूरी का बिल पेश किया। पहले सब विधायकों को बिल की प्रतियां बांटी गईं। श्रम मंत्री ने बिल को संक्षेप में समझाते हुए कहा, "पिछले कुछ सालों में उत्पादन काफी बढ़ा है। महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन मज़दूरों की मज़दूरी इतनी नहीं बढ़ पाई है जितना कि और लोगों की आमदनी बढ़ी है। कई मज़दूर संगठनों ने अपने मालिकों के साथ ये मसले भी उठाए हैं। हड़तालें भी हुई हैं। हड़तालों से उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। पर मज़दूरों की मांगें भी कुछ हद तक जायज़ हैं। सरकार को जनहित में सोचना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यह बिल पेश कर रहे हैं जिसमें उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी 37 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रतिदिन की जा रही है और खेतीहर मज़दूरों की 28 रुपए से 35 रुपए। आप सब को बिल की एक-एक प्रति दी गई है। अब लोग उसे ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद हर बिन्दु पर चर्चा होगी।"

इस चित्र में श्रम मंत्री को पहचानो।

सब लोगों के सामने मेज़ पर रखे हुए कागज़ क्या हैं? मेज़ पर रखे कागज़ों के अलावा और क्या-क्या रखा है? इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती होगी?

सब विधायकों ने बिल पढ़ा। फिर बहस शुरू हुई। कोई बिल के पक्ष में बोलता तो कोई उसके विरुद्ध। महाकौशल संघ के रामप्रसादजी अधिकांश मामलों में कुछ न बोलते थे। पर आज वे खड़े हो गए। बोले:

→

कई विधायक रामप्रसाद जी की बातों से प्रभावित हुए। दूसरों ने कहा:

एक और विधायक श्री आकाशमल जी ने कहा:

→

चर्चा और बहस खूब हुई। जब मत पूछे गए कि क्या इस बिल को पास कर देना चाहिए तो उपस्थित 273 लोगों में से 200 के हाथ उठ गए। बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए पेश किया गया। राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह से विधान सभा में न्यूनतम मज़दूरी का कानून बना।

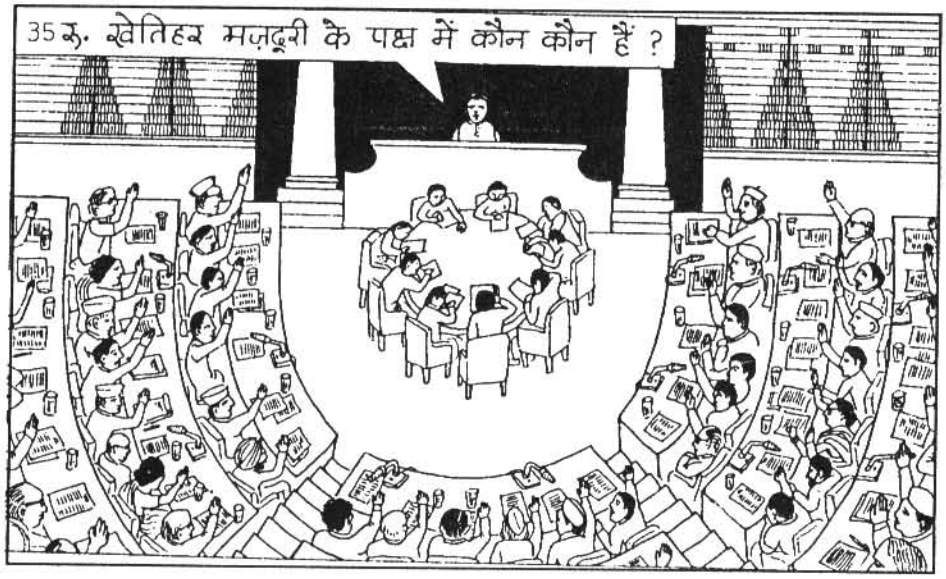

क्या तुम्हें लगता है कि यह कानून मज़दूरों और मालिकों की राय के अनुसार बना है? विधान सभा की चर्चा में उनकी राय कैसे पहुंची?

कानून कैसे लागू होगा

गज़ेट नाम की किताब में छपकर यह कानून जिलाधीश जैसे सरकारी कर्मचारियों के पास पहुंचा। अब यह देखना उनकी ज़िम्मेदारी हो गई कि हर मज़दूर को उतनी मज़दूरी मिलती है जितनी विधानसभा में तय की गई है। यदि किसी जगह कम मज़दूरी मिलती तो वहां के मज़दूर उस क्षेत्र के विधायक से बात करते। उस जिले के जिलाधीश को भी ज्ञापन देते। विधायक विधान सभा में सवाल पूछते। जिलाधीश अपनी तरफ से जांच करवाता। इस तरह न्यूनतम मज़दूरी का कानून लागू करने का दबाव बनता।

अभ्यास के प्रश्न

1. तुम्हारे ऊपर किनके बने नियम व कानून लागू होते हैं?
   मध्य प्रदेश राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, होशंगाबाद नगरपालिका, भारत की केन्द्र सरकार।
2. इन लोगों के बारे में दो-दो वाक्य लिखो–
   क) मतदाता
   ख) उम्मीदवार
   ग) पार्टी सदस्य
   घ) विधायक
3. क्या सभी लोग जो पंचायत के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, विधायक के चुनाव में भी वोट डाल सकते हैं?
4. पंच और विधायक के चुनाव में क्या अन्तर है?
5. वोट डालने से किसे रोका जा सकता है?
6. विधायकों का काम क्या है?
7. मुख्यमंत्री कैसे बनता है?
8. मंत्रिमंडल कैसे बनता है?
9. मंत्रिमंडल का क्या काम है? मंत्री और विधायक में क्या अन्तर होता है?
10. विधानसभा में आज खेती की भूमि पर कर समाप्त करने का विधेयक पेश किया गया। 272 विधायक उपस्थित थे। जब विधायकों से पूछा गया कि कितने विधायक इसे कानून बनाने के पक्ष में हैं तो उन में से 106 विधायकों के हाथ उठे। क्या यह विधेयक कानून बना? कारण सहित उत्तर दो।
11. यदि तुम्हारे क्षेत्र में सूखा पड़ा है, तो तुम्हारे यहां के विधायक को इस समस्या को हल करने के लिए क्या करना होगा?
12. सरकारी कर्मचारी और मंत्री में क्या अन्तर होता है?
13. विधायक की कहानी में न्यूनतम मज़दूरी का कानून किस प्रकार से बना? इस बारे में जो बहस हुई, उसकी मुख्य बातें बताओ।
14. राज्य सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना दे जो केन्द्र सरकार को बिल्कुल गलत लगता हो इसके लिए कौन-सी व्यवस्था की गई है?